

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 1/प्रा०आ०-0-3-58/13-25/आ०प्र० दिनांक 05.09.2013 तथा पत्र संख्या- 1/प्रा०आ०-0-3-58/13-34/आ०प्र० दिनांक 25.09.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 104- चारे की पूर्ति, उप शीर्ष - 0001- चारे की पूर्ति विपत्र कोड एन० 2245021040001 मद में पटना जिला को क्रमशः मो० 0.82 (बेरासी हजार) तथा 9.18 (नौ लाख अठारह हजार) कुल 10.00 (दस लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39, यूनिट कोड-21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ

(राशि :-रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	योग
01.	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	0.00	722900.00	722900.00
02.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	0.00	87100.00	87100.00
03.	अंचल अधिकारी, मनेर	0.00	80000.00	80000.00
04.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	0.00	90000.00	90000.00
05.	अंचल अधिकारी, फतुहां	0.00	20000.00	20000.00
कुल उपावंटित राशि		0.00	1000000.00	1000000.00

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 104- पशु चिकित्सा, उप शीर्ष - 0001- चारे की पूर्ति मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन भारत सरकार के विहित प्रपत्र में एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
- उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही


शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह राशि जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 1302 दिनांक 03.10.2013, अंचल अधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 5659 दिनांक 08.10.2013, अंचल अधिकारी, मनेर के पत्रांक 1045 दिनांक 18.10.2013, अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर के पत्रांक 430 दिनांक 17.10.2013 एवं अंचल अधिकारी, फतुहां के पत्रांक 1165 दिनांक 25.10.2013 के आलोक में उपावंटित की जा रही है।
6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/—

जिला पदाधिकारी,
पटना।

- ज्ञापांक IV-19/2013 1385 / आ०प्र०, दिनांक 29/10/13
- प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/अंचल अधिकारी, पटना सदर/अंचल अधिकारी, मनेर/अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर/अंचल अधिकारी, फतुहां को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, बाढ़/दानापुर/पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/बाढ़/दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
पटना।